बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–24.07.2015 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति :–

1. विकास आयुक्त
2. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
3. प्रधान सचिव, कृषि विभाग,
4. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग
5. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
6. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
7. सचिव, जल संसाधन विभाग
8. उप सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

दक्षिण–पश्चिम मानसून 2015 से राज्य में अल्प वर्षापात/सुखाड़ की संभावना को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत है :–

1. भारत मौसम विज्ञान विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में राज्य में वर्षापात की मात्रा सामान्य से 23 प्रतिशत कम है। इस सप्ताह मॉनसून के कमजोर होने की संभावना है। माह जून–जुलाई के तुलना में माह अगस्त–सितम्बर में वर्षापात में कमी अधिक होगी।

2. कृषि विभाग

प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि अबतक धान की बिचड़े का आच्छादन लक्ष्य के विरूद्ध 95.33 प्रतिशत, धान का आच्छादन 47.89 प्रतिशत एवं मक्का का आच्छादन 82.16 प्रतिशत हुआ है। उनके द्वारा बताया गया कि मानसून की कमजोर स्थिति के मद्देनजर धान के उत्पादन के साथ–साथ बड़े क्षेत्रफल में मक्का के उत्पादन पर भी बल दिया जा रहा है। खरीफ 2015 में सामान्य से कम वर्षापात के पूर्वानुमान के आलोक में राज्य में 350000 हेक्टेयर क्षेत्र में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के आच्छादन का कार्यक्रम है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया की डीजल सब्सिडि के वितरण की कार्रवाई म तेजी लाया जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में वर्षापात की स्थिति अच्छी नहीं है तथा आच्छादन की स्थिति अच्छी नहीं है उन क्षेत्रों में सतत निगरानी रखी जाए। चारे के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रखंडवार आच्छादन प्रतिवेदन एवं वर्षापात का प्रतिवेदन अपने विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों से प्राप्त कर सतत निगरानी रखा जाए।

3. लघु जल संसाधन विभाग

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु 10224 राजकीय नलकूपों के विरूद्ध मात्र 2920 नलकूप ही कार्यरत है। जिससे वर्त्तमान में 427.5 हेक्टेयर में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया गया है। विद्युत दोष के कारण 173 नलकूप बंद हैं, बंद पड़े नलकूपों को चालू करवाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। नाबार्ड फेज–08 एवं नाबार्ड फेज –11 के ऊर्जान्वित नलकूपों को चालू कराने हेतु सभी प्रमंडलों से जाँचित प्राक्कलन प्राप्त हो गया है। मुख्य अभियन्ता के माध्यम से प्राप्त जाँचित प्राक्कलन के आधार पर संलेख तैयार कर गैर योजना व्यय समिति को स्वीकृति हेतु भेजा जा चूका है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि नलकूपों की मरम्मति एवं Channels की मरम्मति अविलम्ब पूरी की जाय और साथ ही शीघ्र नलकूपों को चलाने हेतु कर्मियों की व्यवस्था की जाए। प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग से उपर्युक्त के संबंध में एक कार्ययोजना तथा प्रत्येक सप्ताह बैठक में नलकूपों से सिंचित होने वाले क्षेत्रफल तथा यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों के स्थिति का प्रतिवेदन की मांग की गयी।

4. ऊर्जा विभाग

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि अल्पवर्षापात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध रूप विद्युत आपूर्ति जारी रखी जाए तथा ट्रांसफॉर्मर की खराबी से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र उर्जान्वित करने की कार्रवाई की जाए।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभाग द्वारा हर जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के 5 चापाकलों के भू–जलस्तर की मोनेटरिंग की जा रही है। राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में माह जुलाई 2013 की तुलना में किसी भी जिला में औसतन भू–जल स्तर में गिरावट की सूचना नहीं है। माह जुलाई 2014 की तुलना में कैमुर, लखीसराय एवं शेखपुरा में जलस्तर में 0 से 1 फीट के गिरावट की सूचना है तथा राज्य के उत्तरी भाग में सरहसा, किशनगंज एवं कटिहार जिलें में भू–जलस्तर में 0 से 1 फीट तक गिरावट की सूचना है। विभाग के पास कुल 251 जल टैंकर उपलब्ध हैं जिससे तैयार रखा गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि विद्युतदोष के कारण खराब नलकूपों की सूची ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाए। यह भी ध्यान दिया जाय कि गुणवतापूर्ण पेयजल की आपूर्ति किया जाय और जहां बोरिंग पुराना हो गया है उसे मरम्मति करने की अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

6. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पशुचारे की कोई कमी नहीं है एवं पशु दवा जिलों में उपलब्ध है। पशुचारे हेतु मात्र मधेपुरा जिले में पशुचारा का दर एवं आपूत्तिकर्त्ता का निर्धारण हो चूका है। शेष जिलों में कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा पशुचारे का दर अबतक निर्धारित होने के कारण खेद व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया कि शीघ्र चारे की आपूर्ति हेतु सभी जिलों में निविदा द्वारा दर निर्धारण की कार्रवाई कर ली जाए। साथ ही राजकीय नलकूप, तालाब, जलाशय को चिह्नित कर पशु शिविर स्थापित करने की व्यवस्था की कार्य योजना तैयार कर ली जाय।

7. जल संसाधन विभाग

सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कोशी नदी में कुल 105785 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है। पूर्वी कोशी एवं पश्चिम कोशी नहर प्रणालियों में क्रमशः 9500 तथा 2500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। गंडक नदी में वर्त्तमान में कुल 159300 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है, जिसमें से तिरहुत नहर प्रणाली में 3800 घनसेक, दोन नहर प्रणाली में 1700 घनसेक एवं त्रिवेणी नहर प्रणाली में 1500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 7500 घनसेक जलापूर्ति की जा रही है जिसमें से सारण मुख्य नहर प्रणाली में 2800 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज में 10465 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्व नहर प्रणाली में 4055 घनसेक तथा पश्चिमी नहर प्रणाली में 7000 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति अच्छी नहीं है।

प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति निम्नवत है:–

क्र0	जलाशय का नाम	कुल संचयन क्षमता	दिनांक–03.07.2015 की स्थिति (फीट में)	दिनांक–17.07.2015 की स्थिति (फीट में)
1	चन्दन	110000	483.50	500.70
2	बदुआ	89000	387.70	400.00
3	ओढ़नी	33550	396.10	399.40
4	ऑजन	20030	369.80	372.30
5	बेलहरना	11805	430.90	436.40
6	खड़गपुर झील	13200	208.60	211.10
7	विलासी	23400	289.60	290.40
8	मोरवे	10800	247.20	249.50
9	नागी	7700	422.00	426.50
10	गरही जलाशय	68500	530.50	536.80
11	कोहिरा	22210	313.00	334.00
12	बटाने	48600	Below D.S.L	727.40

13	फुलवरिया	41563	569.60	570.40
14	नकटी जलाशय	11320	432.00	329.50

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि किस नहर प्रणाली एवं जलाशय से कितने क्षेत्र की सिंचाई हो रही है तथा कितना पानी दिया जा सकता है उसका क्षेत्रवार आकलन कर प्रतिवेदित करें और नहर की सभी वितरणी को ठीक करा लें और बांधों की मरम्मति भी सुनिश्चित कर लें। सभी गेट सही है कि नहीं यह भी देख लें तथा नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

8. ग्रामीण विकास विभाग

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि जिन क्षेत्रों में वर्षापात कम है उन क्षेत्रों की स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाए तथा मैनडेज बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

9. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मुख्य सचिव द्वारा शताब्दि अन्न कलश योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 2 – 2 क्वींटल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में चिन्हित जनप्रणाली विक्रेता के पास रखवाने का निदेश दिया गया है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक–31.07.2015 को 5.30 बजे अपराह्न को आहूत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ उर्जा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07/2014 2874 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 29/7/15

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/15
विशेष सचिव